अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप असंभव को भी संभव बना दोगे।
—— ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम, उप्र

प्रधानमंत्री 'सहकारी संघवाद' की बात करते हैं, लेकिन 'प्रतिरोधी संघवाद' दिख रहा है।
—— शशि थरूर, कांग्रेस सांसद

नई दिल्ली। शुक्रवार • 4 अगस्त • 2023
राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

दो पंपलेट लेकर जनता के बीच जाएं कार्यकर्ता : जय पांडा

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को प्रदेश की नई टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने जनता के बीच जाने की सलाह दी। प्रदेश प्रभारी वैजयंत जय पांडा ने पदाधिकारियों को सलाह दी कि वह जनता के बीच खाली हाथ न जाएं। अपने साथ एक पंपलेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का और दूसरा दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला लेकर जाएं।

- पद दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मिला है : वीरेंद्र सचदेवा
- संगठन में शामिल होने से छूटे कार्यकर्ताओं के घावों पर लगाया मरहम
- 2024 के लोकसभा चुनाव में सातों सीट जीतने का लिया संकल्प

प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नसीहत देते हुए कहा कि पदाधिकारियों को यह पद दिल्लीवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए मिला है, न कि आत्म प्रशंसा के लिए मिला है। यह बैठक की पार्टी की नई टीम के पदाधिकारियों को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में सह-प्रभारी डॉ अलका गुर्जर, दुष्यन्त गौतम, रामवीर सिंह बिधूड़ी, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, विजेन्द्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, मनोज तिवारी, आदेश गुप्ता, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, सरदार राजा इकबाल सिंह शामिल थे। बैठक का संचालन हर्ष मल्होत्रा ने किया।

पार्टी की बैठक में नई टीम के सभी सदस्यों ने विस्तार के साथ अपना परिचय दिया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि नई टीम पुराने और नए कार्यकर्ताओं का मिश्रण है। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ही उनकी क्षमता के चयन का मूल मानदंड रही है। टीम में शामिल होने छूटे कार्यकर्ताओं की नब्ज पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्टी में पदों की संख्या सीमित होने के कारण कई योग्य कार्यकर्ता छूट गए हैं, लेकिन यह भाजपा संगठन की गुणवत्ता है कि जो लोग छूट जाते हैं वे भी पार्टी के काम में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आविान करते हुए नियमित रूप से संवाद पर जोर दिया। कार्यकर्ता अपने साथ दो पंपलेट लेकर जनता के बीच जाएं। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करें।

प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नए पदाधिकारियों का स्वागत करते अपना पूर्ण योगदान देने को कहा। संगठन को लतागार बेहतर प्रदर्शन देने की जरूरत होती है। नए पदाधिकारियों के लिए यह पहला दिन है। आइए हम सभी 2024 में लोकसभा की सभी सात सीटों को जीतने का संकल्प लें। नई टीम को समझना होगा कि उन्हें पार्टी का पद लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करने के लिए दिया गया है। प्रदेश सह-प्रभारी डॉ अलका गुर्जर ने कहा कि दिल्ली में मजबूत क्षमता वाले कार्यकर्ता हैं और कम समय में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रदेश संगठन महासचिव पवन राणा ने जिला एवं मोर्चा इकाइयों के साथ बैठकों का विवरण रखा। उन्होंने सभी से मतदाता नामांकन प्रक्रिया पर कड़ी मेहनत करने को कहा।

भाजपा कार्यालय में बृहस्पतिवार को बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी वैजयंत जय पांडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी व अन्य वरिष्ठ नेता। *फोटोः एसएनबी*

'दिल्ली सेवा बिल' दिल्ली वालों को गुलाम बनाने वाला : केजरीवाल

नई दिल्ली (एसएनबी)। लोकसभा में बृहस्पतिवार को पास हुए 'दिल्ली सेवा बिल' पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पास जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक-2023 लाने के पक्ष में एक भी बाजिब तर्क नहीं है। ट्वीटर पर उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में मोदी जी ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' कभी ऐसा नहीं होने देगा।

लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद पहली प्रतिक्रिया में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला विधेयक है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा है कि हर बार भाजपा ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते हुए सुना। उनके पास कोई वाजिब तर्क नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पर आगे से इनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना। उन्होंने कहा कि बिल का समर्थन के लिए सरकार के पास कोई वाजिब तर्क नहीं है। यह बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को बेबस और लाचार बनाने वाला विधेयक है, लेकिन 'इंडिया' ऐसा कभी नहीं होने देगा।

- बिल के समर्थन में शाह के पास कोई वाजिब तर्क नहीं : सीएम

सीएम की अराजकता से आया 'दिल्ली सेवा बिल' : सचदेवा

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में 'दिल्ली सेवा विल' सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की अराजकता की वजह से लाया गया है। राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था काफी जटिल है. लेकिन संवैधानिक रूप से निर्धारित है। पुरानी सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 1947 से लेकर 2013 तक दिल्ली का शासन मर्यादित रूप से चला है। आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता संभालते ही पहली इस तरह की प्रशासनिक अराजकता सामने आयी है। प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री के पूरे कार्यकाल की घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच इस सरकार में तमाम घोटाले हुए हैं। विधानसभा में अराजक तरीके से विधानसभा सत्र बुलाए गए। मुख्यमंत्री अपनी अराजकता को छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा सूचना-कोटा मण्डल

सं.ईएल/टीआरडी/50/एनआईटी दि. 31.07.2023

भारत के राष्ट्रपति के लिए अथवा उनकी ओर से वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) प.म.रे. कोटा निम्न कार्य के लिए खुली मोहरबंद ई- निविदा आमंत्रित करता है। **निविदा संख्या एवं कार्य का नाम**-निविदा संख्या ईएल/टीआरडी/50/09 (2023-24)-प्रोविजन ऑफ ऑक्जीलरी ट्रांसफार्मर इन कनैक्शन विद अमृत भारत स्टेशन स्कीम (एबीएसएस) इन कोटा डिवीजन। **कार्य की अनुमानित लागत**-1,14,91,748.00, **निविदा बंद होने की दिनांक एवं समय**-दिनांक 04/09/2023 को 15.30 बजे। **वेबसाइट का विवरण तथा नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से निविदा का सम्पूर्ण विवरण देखा जा सके**- http://www.ireps.gov.in/ वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) कोटा प्रथम तल मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय प.म.रे., कोटा। ऑफर केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से http://www.ireps.gov.in/ पर स्वीकार किये जायेगें। निविदा दाता के पास क्लास ||| डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आईआरईपीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुअली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कंडीशन व शर्तें अवश्य पढ़ लें।

कृते: वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) कोटा

वैक्सीन लगवाएं, जीवन के सफर को सुरक्षित बनायें।

सार्वजनिक सूचना

YEIDA FUTURE IS HERE

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के एल० एफ० डी० परियोजना के अन्तर्गत आवंटित भवन सं0-PVC-09-0206 in Pavilion Court Tower-09 at Jaypee Greens Wish Town, Sector-128, Noida. Super Area-86.96 Sqm. जो कि श्री राकेश महाजन, श्री दिनेश महाजन एवं श्री नीरज महाजन को संयुक्त नाम पर सबलीज्ड है। एक सबलेसी श्री नीरज महाजन की मृत्यु उपरान्त उनके 1/3 भाग का नामांतरण उनकी पत्नी श्रीमती रितु महाजन द्वारा अपने पक्ष में किये जाने हेतु प्राधिकरण में आवेदन किया गया है।

अतः इस नामांतरण (Death Mutation) के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति है तो प्रकाशन कि तिथि से 35 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज कराने का कष्ट करें, अन्यथा नियमानुसार प्राधिकरण अभिलेखों में स्व० श्री नीरज महाजन के 1/3 भाग का नामांतरण उनकी पत्नी श्रीमती रितु महाजन के नाम दर्ज कर लिया जायेगा ।

सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)

यमुना एक्प्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कामर्शियल काम्पलेक्स, ब्लाक-पी 2, सैक्टर-ओमेगा 1, ग्रेटर नोएडा, पिन कोड-201308
जिला-गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 दूरभाश नं0-0120-2395201, फैक्स नं0-0120-2395150

ओवरऐज बसों के भरोसे चल रही डीटीसी : बिधूड़ी

नई दिल्ली (एसएनबी)। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की खस्ताहालत को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की सीएनजी बसें ओवरएज होने की वजह से रोज खराब हो रही हैं। यही वजह है कि बीते पांच साल में परिवहन निगम 10 हजार करोड़ से अधिक के बोझ तले दब गया है। कमोवेश यही स्थित दिल्ली जल बोर्ड की है। दिजबो का घाटा बढ़कर 72 हजार करोड़ से ऊपर चला गया है।

- रोजाना 500 से 700 बसें सड़कों पर होती हैं खराब : नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक बसें पुरानी होने की वजह से डीटीसी के बेड़े में शामिल कुल 3992 बसों में से 3504 बसें ओवरऐज हो चुकी हैं। बाकी बसें भी खस्ताहाल हैं और रोज खराब हो रही हैं। उनका दावा है कि 500 से 700 बसें रोजाना सड़क पर खड़ी हो जा रही हैं। औसतन 20 फीसद बसें रोजाना खराब हो जा रही हैं। सड़क पर बसों की कमी होने की वजह से यत्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। दिल्ली सरकार के पास कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बीते आठ साल में डीटीसी के बेड़े में एक भी बस नहीं खरीदी गयी है। पुरानी बसें होने की वजह से सड़क पर दुर्घटनाओं को खतरा बना हुआ है। बिधूड़ी ने दावा किया है कि सरकार के पास दिजबो के सयंत्रों के रख-रखाव के लिए भी पैसा नहीं है। बोर्ड करीब 72 हजार करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार दूसरे मद का पैदा ट्रांसफर करके दैनिक खर्चे पूरे कर रही है।

महायज्ञ में देशभर के संत महात्माओं ने डाली आहूतियां

नई दिल्ली (एसएनबी)। श्री पीठम की ओर से दिल्ली में महालक्ष्मी मंदिर के निर्माण के लिए आयोजित 108 कुंडीय महालक्ष्मी महायज्ञ एवं संत सम्मेलन का भूमि पूजन समारोह मॉडल टाउन स्थित अमरदीप पब्लिक स्कूल में जगदाचार्य महापंडित चंद्रमणि मिश्र, परमाध्यक्ष पीठाधीश्वर महेश स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज, यज्ञाचार्य आरपी शास्त्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। कुंडीय यज्ञ में देशभर के संत महात्माओं के साथ श्रद्धालुओं ने आहूतियां प्रदान की।

इस मौके पर ब्रह्मचारी महाराज ने देश में सनातन धर्म को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी संस्कृति को न छोड़े तो भारत का विश्वगुरु बनना तय हैं। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. हर्षवर्धन, खाटू श्याम दिल्ली धाम के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी, अखिल भारतीय सनातन परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. रोहित सक्सेना ने अपने विचार रखे। महायज्ञ आगामी 21 अगस्त से 28 अगस्त तक स्वामी अमरदेव पब्लिक स्कूल ग्राउंड में होगा।

रोबोट से जटिल गॉल ब्लैडर की सफल सर्जरी

नई दिल्ली (एसएनबी)। फोर्टिस हॉस्पीटल, शालीमार बाग के डाक्टरों ने रोबोट की मदद से एक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अस्पताल में रोबोटिक, लैप जीआई के निदेशक डा. प्रदीप जैन के अनुसार 36 वर्षीय महिला की जटिल गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह काफी दुर्लभ और जटिल किस्म की सर्जरी थी जिसे मात्र 45 मिनट में पूरा कर लिया गया। मरीज़ पिछले साल अगस्त से गॉलब्लैडर में पथरी की समस्या से पीड़ित थीं। मरीज ने उल्लेखनीय रूप से काफी जल्द स्वास्थ्य लाभ किया। उन्हें सर्जरी के एक दिन बाद ही, बिना किसी जटिलता के चलते छुट्टी दे दी गई।

MODI RUBBER LIMITED
CIN: L25199UP1971PLC003392
Registered Office: Modinagar - 201204; Dist. Ghaziabad, (U.P.)
Corporate Office: 4-7C, DDA Shopping Centre, New Friends Colony, New Delhi-110025; Website: www.modirubberlimited.com
Email: investors@modigroup.net; Phone: +91-11-47107398

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of SEBI (LODR) 2015, Notice is hereby given that a 302nd Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 14th August, 2023 at 3.00 PM at Corporate Office : 4-7/C, DDA Shopping Centre, 4th Floor, New Friends Colony, New Delhi- 110 025 to inter-alia approve the following:

(1) Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Statements of the Company for the period ended on June 30, 2023.
(2) To fix the Date, Time and Venue for convening the 50th Annual General Meeting.
(3) To consider and approve Directors Report, Corporate Governance Report, Management Discussion Analysis Report and Secretarial Audit Report for the financial year 2022-23.

For Modi Rubber Limited
Sd/-
(S K Bajpai)
Head - Legal & Co. Secretary

Place : New Delhi
Date : 3.8.2023

फॉर्म-ए
सार्वजनिक घोषणा
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
शॉन अल्ट्रावेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

प्रासंगिक विवरण	
1. कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	शॉन अल्ट्रावेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	29/09/2000
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित/पंजीकृत है	आरओसी-दिल्ली
4. कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी सं.	U26913DL2000PTC107972
5. कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 94, नील कमल अपार्टमेंट, विकास पुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली- 110018 प्रधान कार्यालयः एफ-73 और 74, ईपीआईपी, नीमराना, राजस्थान-301705
6. कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	01.08.2023 (दिनांक 03-08-2023 को आदेश की प्रति अपलोड की गई)
7. दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	28.01.2024
8. अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	श्री संदीप महाजन पंजीकरण नं. IBBI/IPA-001/IP-P00991/2017-18/11631
9. अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पताः सी2/288, जनक पुरी, नई दिल्ली- 110058 ईमेलः sandeep8mahajan@gmail.com
10. अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पताः फ्लैट नं. 409, चतुर्थ मंजिल, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001, ईमेलः schonultrawares.ibc@gmail.com
11. दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	16.08.2023 (15-08-2023 राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण))
12. धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित	लागू नही
13. दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नही
14. (क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	(क) वेबलिंक http://ibbi.gov.in.downloadform.html (ख) लागू नहीं

*एनए-लागू नहीं

इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-V ने 01-08-2023 को शॉन अल्ट्रावेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

शॉन अल्ट्रावेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटर्स को 16-08-2023 को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना हैं।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचालन लेनदारों को पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं।

एंट्री नं. 12 के खिलाफ सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार, क्लास [निर्दिष्ट क्लास] फार्म सी ए : लागू नहीं में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एंट्री नं. 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अर्थित प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा।

श्री संदीप महाजन
अंतरिम समाधान पेशेवर
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00991/2017-18/11631
एएफए वैधः 19.12.2023 तक
तिथिः 04-08-2023 409, अंसल भवन, 16 के.जी. मार्ग (कनॉट प्लेस), नई दिल्ली – 110001
स्थानः दिल्ली ईमेलः schonultrawares.ibc@gmail.com

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF MS. SHAINA GOYAL, CIVIL JUDGE, N/W, ROHINI COURTS. ROOM NO. 310-A
NEXT DATE OF HEARING : 09-10-2023
CS NO. 227/2021 J. (Civil)- 12
ICICI BANK LTD. ...PLAINTIFF
Against (VS)
MANI BABU RAJPUT ...DEFENDANT

To,
Mani Babu Rajput
S/o Sh. Devjit Singh R/o H. No. 253 C/A, Munirka Village, Munirka J.N.U. South-West Delhi-Delhi Near Munirka Metro Station Delhi-110067, M-7982606540/ 95602 63371
EMAIL ID- MANIRAJPUT1515@GMAIL.COM
ALSO AT- DKPL NETWORK PVT. LTD, DESIGNATION-NETWORK ENGINEERING, A1/E, SECOND FLOOR, SEC-16, NOIDA UTTAR PRADESH- 201301

WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **09 October, 2023** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court, this **29.05.2022,**

**Civil Judge (N/W)
Room No
Rohini Court, Delhi**

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF MS. ILLA RAWAT, LD. DISTRICT JUDGE, COMMERCIAL COURT-03, CENTRAL, ROOM NO. 303, EXTENSION BLOCK, TIS HAZARI COURT, DELHI
Publication Receipt
NEXT DATE OF HEARING : 09.10.2023
CS (COMM) 4558/2021
ICICI BANK LTD.
V/S
NAGAMALLESWARA RAO CHIRAKALA

To,
(OLD ADDRESS) NAGAMALLESWARA RAO CHIRAKALA, S/O. SH. VENKATESWARLU CHIRAKALA, R/O. RZ-24B, STREET NO. 4, INDIRA PARK, PALAM VILLAGE, NEAR KAILASH PURI BUS STAND, DELHI- 110045
(NEW ADDRESS) NAGAMALLESWARA RAO CHIRAKALA, S/O. SH. VENKATESWARLU CHIRAKALA, OFFICE AT : KARNAL MOTORS INDUSTRIAL AREA, KURUSHETRA NEAR PIPAL BUS STAND, KURUSHETRA, HARYANA- 136118

WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **09.10.2023** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex- parte.
Defendant should file his written statement of defence within 30 days from the date of service/ receipt of summons.
Given under my hand and the seal of the court, **20.07.2023.**

**District Judge
Commercial Court-03
Tis Hazari Court, Delhi**

PUBLICATION
PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF SH. UMED SINGH GREWAL DISTRICT JUDGE COMMERCIAL-05, CENTRAL, ROOM NO.-305, EXTN. BLOCK TIS HAZARI COURT, DELHI
Case No. CS (COMM.)- 2425/2022
N.D.O.H.- 08.09.2023
ICICI BANK LTD. ...Plaintiff
VS
KANCHHID SINGH CHAUHAN ...Defendant

To,
KANCHHID SINGH CHAUHAN, S/O SH. RATAN SINGH CHAUHAN, PROP. OF M/S SAI TEX PRINT, R/O-PLOT NO. 4, SECTOR-27C, FARIDABAD, HARYANA-121003.
ALSO AT- H.NO.-22, SECTOR-30, FARIDABAD, HARYANA-121003.
NEW ADDRESS-KANCHHID SINGH CHAUHAN, S/O- SH. RATAN SINGH CHAUHAN, PROP. OF M/S SAI TEX PRINT H.NO.-4, BLOCK-19, SPRING FIELD COLONY, SECTOR-31, AMARNAGAR, FARIDABAD, HARYANA-121003.
ALSO AT-PROPRIETOR OF M/S SAI TEX PRINT, PLOT NO. 16, PHASE-1, DLF INDUSTRIAL AREA, SECTOR- 32, FARIDABAD, HARYANA-121003.

The Defendant above named WHEREAS you are intentionally evading service of summons, it is hereby notified that in case you do not defend the case which is fixed on the **08.09.2023** at **10:00 A.M.,** it will be heard in your absence and determined ex-party as per law.
Given under my hand and the seal of the court, on **21.07.2023.**

**District Judge
Commercial Court- 05 (Central),
Tis Hazari Courts, Delhi.**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई 400069.
अलीगढ़ शाखा : कार्यालय 305, 306 एवं 307, दूसरी मंजिल, ग्रेट शॉपिंग मॉल, ग्राम कस्बा कोल, विद्या नगर कॉलोनी के पास, रामघाट रोड़, अलीगढ़ 202001 (उ.प्र.)
नोएडा सेक्टर 31 शाखा: दूसरी मंजिल, प्लॉट नं.253, कृष्णा कॉम्पलेक्स, महाराजा अग्रसेन मार्ग, नोएडा सेक्टर-31, पिलर नं.23, निठारी ग्राम, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301
प्राधिकृत अधिकारी : अनुज सक्सेना, मो. : 8149195908

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सिक्युटराईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋण की ओर बकाया धनराशि की वसूली हेतु निम्न वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अचल सम्पत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, जो कि भौतिक आधिपत्य में है, के **''जहॉं है, जैसी है और जो है''** के आधार पर क्रय हेतु सीलबंद लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	ऋणी(यो)/ सह ऋणी(यो)/ जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)
1	(लोन कोड नं. 05200000639/ अलीगढ़ शाखा) शोएब खान (ऋणी) रुही शकिल (सह-ऋणी)	12-10-2022 एवं ₹ 2,39,878/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, गट नं. 396 के भाग पर प्लॉट, मौजा सिकंदरापूर चेरत, तहसील कोली अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, 202001, **चर्तुःसीमाः** पूर्व- अन्य का प्लॉट, पश्चिम- 22 फीट चौड़ा रोड़, उत्तर- हॉजीलाल का प्लॉट, दक्षिण- 19 फीट चौड़ा रोड़	₹ 10,79,280/-	₹ 1,07,928/-
2	(लोन कोड नं.20200002558/ नोएडा सेक्टर 31 शाखा) सविता झा (ऋणी), प्रमोद कुमार झा (सह-ऋणी)	11-02-2023 एवं ₹ 6,29,736/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लाट नं. ए 7, खाता नं. 01, खसरा नं. 225, पूर्वांचल हाऊसिंग जोन, केडा, छुंगनपुर, तहसील दादरी, गोतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश- 203207, **चर्तुःसीमाः** पूर्व- प्लॉट नं. ए-8, पश्चिम- अन्य, उत्तर- अन्य, दक्षिण- 20 फीट चौड़ा रोड़	₹ 7,56,000/-	₹ 75,600/-

(1) उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर निर्धारित निविदा प्रारुप में ईएमडी एवं केवायसी सहित सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि **02-09-2023 सायं 5.00** बजे रहेगी। निविदाएं जो पूर्णतः विधिवत रुप से भरी नहीं जावेंगी अथवा निविदाएं जो अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होंगी, को वैध निविदा के रुप में स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार निरस्त कर दी जावेंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
(2) उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर प्रस्ताव खोलने कि तिथि एवं **04-09-2023** को समय सायं **3.00** बजे है, निविदा को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोला जावेगा।
(3) ऋणी एवं जमानतदार को एतदनुसार विक्रय के समय व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है एवं वे, विक्रय के नियम एवं शर्तों के अनुसार, उपरोक्तानुसार वर्णित अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए प्रस्तावित क्रेतागण को साथ ला सकेंगे।
(4) **यह 30 दिनों का विक्रय नोटिस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आम तौर पर जनता विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं), सह उधारकर्ता (ओं), जमानतदार(ओं) को दिया जाता है कि ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित किया गया है। आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) सुरक्षित लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया है, जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड की बकाया राशि के आधार पर बेचा जाएगा, बिक्री की तारीख से पहले पूर्ण रूप से, नीलामी विज्ञापन रोके जाने के लिए उत्तरदायी है।**
(5) अचल सम्पत्ति को सबसे ऊंची निविदा (बोली) लगाने वाले को विक्रय किया जावेगा। हालांकि अधोहस्तारकर्ता को अन्तर बोली (निविदा), यदि आवश्यक हो तो, को स्वीकार करने का एकमेव विवेकाधिकार रहेगा। दी गई संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम राशि पर नहीं होगा।
(6) **एएचएफएल उपरोक्त दर्शायी गई संपत्ति के उपर किसी भी प्रकार के देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्ति की नीलामी ''जहां है जैसी है, जो है तथा जिस अवस्था में है'' के आधार पर की जावेगी।**
(7) डिमांड डाफ्ट **आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के पक्ष में** बनाए जाएंगे।
(8) नीलामी विक्रय की विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रारुप में समाविष्ट की गई हैं। निविदा प्रारुप उपरोक्त शाखा कार्यालय पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के पास निविदा की तिथि बढ़ाने एवं प्रस्ताव के नियम व शर्तो में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। बोली की अन्य नियम एवं शर्ते व अन्य जानकारी हेतु हमारी शाखा या वेबसाईट **www.aadharhousing.com** पर जाए। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उपरोक्त पते पर संपर्क करें।

स्थान : उत्तरप्रदेश
दिनांक : 04.08.2023

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
आगरा शाखा: ऑफिस नं.504, पांचवी मंजिल, बिजनेस स्क्वेयर, ब्लॉक-ई-15/8, संजय पैलेस, आगरा - 282002 (उत्तर प्रदेश)
प्राधिकृत अधिकारी : अनुज सक्सेना : 8149195908

निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत बिक्री के लिए संपत्ति

यह कि, प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) ने वित्तीय संपत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के प्रवर्तन संपत्ति के प्रसंस्करण के 13 (4) के अंतर्गत निम्न वर्णित सम्पत्ति (प्रतिभूत ऑस्ति) का समस्त शेष एवं सम्पुर्ण भाग को कब्जे मे ले लिया है प्राधिकृत अधिकारी को सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत उपर्युक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ कुछ इच्छुक पार्टी से बिक्री की पेशकश प्राप्त हुई है। अब, प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस दे रहा है। खाते का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	एप्प नं. / शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि दिनांक 31-03-2023	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1	(लोन कोड नं. 01400001016/ आगरा शाखा)	उर्मिला देवी (ऋणी), नीतू नागर एवं दुर्गेश व्यास (सह-ऋणी)	08-06-2021 एवं ₹ 24,58,463/-	₹ 12,50,000/- (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र)	₹ 10,03,670/- (रूपये दस लाख तीन हजार छः सौ सत्तर मात्र)	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, प्लॉट नंबर 233 पर मकान, डिफेंस एन्क्लेव मौजा सेमरी, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282001, **चर्तुसीमा :** पूर्व - प्लॉट नंबर -233, पश्चिम - 20 फीट सड़क, उत्तर - खुला प्लाट, दक्षिण - 20 फीट सड़क

प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री के लिए "जहां है", "जैसी है", "जो कुछ भी है" के आधार पर नीलाम करेगा। एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कारण के बिना प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बिक्री सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। प्रस्तावित खरीदार की पेशकश की स्वीकृति पर, उसे 25% स्वीकृत मूल्य समावेशी समायोजन बयाना राशि जमा करना होगा और सुरक्षित ऋण-दाता द्वारा ऑफ़र की स्वीकृति की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खरीदार द्वारा शेष राशि का भुगतान करना होगा। प्रस्तावित खरीदार को यह ध्यान रखना है कि निर्दिष्ट समय के भीतर उसके द्वारा शेष राशि के भुगतान की विफलता के मामले में, जमा राशि पहले ही जब्त की जाएगी और संपत्ति तदनुसार फिर से बेची जाएगी।

यह 15 दिनों का विक्रय नोटिस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आम तौर पर जनता विशेष रूप से उधाकर्ता (ओं), सह उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(ओं) को दिया जाता है कि उपर वर्णित अचल संपत्ति को सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित किया गया है। आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) सुरक्षित लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** ले लिया है , जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड की बकाया राशि के आधार पर बेचा जाएगा, बिक्री की तारीख से पहले पूर्ण रुप से, नीलामी विज्ञापन रोके जाने के लिए उत्तरदायी है।

यदि ऋणी (ओं), सह-ऋणी(ओं) के पास कोई खरीदार है, जो दिए गए आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर गिरवी संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, तो ऋणी (ओं), सह-ऋणी(ओं) को 19.08.2023 को या उससे पहले एएचएफएल को सूचित करना होगा, एएचएफएल उसे प्राथमिकता देगा। यदि ऋणी, सह-ऋणी 19.08.2023 को या उससे पहले सूचित करने में असफल रहते हैं, तो एएचएफएल ऊपर दिए गए आरक्षित मूल्य पर संपत्ति की बिक्री को आगे बढ़ाएगा।

नीलामी की तारीख 19.08.2023 तय की गई है।

स्थान : आगरा
दिनांक : 04.08.2023

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड